

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
मालाराम बनाराम उषा देवी

तारीख हुक्म

848
2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

17/11/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19/11/2025 को पेश हो।

19/11/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 10/12/2025 को पेश हो।

10/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2188 का अपीलार्थी ने संपरिवर्तन करवा रखा है | अपीलार्थी की संपरिवर्तन आवासीय भूमि में से रास्ता दे दिया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15/02/2013 को भूमि संपरिवर्तन करवा लिया | अपीलार्थी द्वारा दो खसरे दिये गये है | अपीलार्थी ने अपनी स्वयं की भूमि पर पानी के लिये बोरिंग केवल मात्र अपने हिस्से की भूमि पर करवा रखी है | विवादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से चार व्यक्तियों को बैचान की गयी है | अपीलार्थी ने रेस्पो. को खसरा नम्बर 2188 में से कोने की भूमि का बैचान किया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के मकानों के अन्दर से रास्ता निकाल दिया गया | अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाद पेश किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर उच्च प्रकट किये जाने का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को इस हेतु अवसर दिए बगैर ही अपीलार्थी निर्णय व डिक्री दिनांक 26/10/2023 पारित किये जाने में कानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही निर्णय व डिक्री दिनांक 26/10/2023 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो की सहमति के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा नक्शे एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी | अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे | तहसीलदार द्वारा प्रेषित नक्शे एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।



✓
राजस्व अपील प्राधिकारी

9314440109

89480389

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
मालाराम बनाम उषा देवी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व सांग्रिफ
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/10/2023 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दो वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है। विवादग्रस्त भूमि के रैम्पो. सहखातेदार है। अपीलार्थी ने किस जगह की भूमि संपरिवर्तन करवायी है, को अपीलार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 26/10/2023 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील करीबन 19 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गयी है एवं इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को क्षमा करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित किये गये है, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नहीं कर अपीलार्थी इतनी लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने के अधिकारी नहीं रह जाते है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी होना जाहिर नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/10/2023 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित कर तथा गुणावगुण पर भी बलहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

